ग्राम पंचायत न्यूल, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–1

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, dated 7-4-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत न्यूल, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

क्र०सं०	नाम	अवधि
प्रधान		
1)	श्रीमती चैतन्य ठाकुर	1.4.2013 से 22.1.2016
2)	श्री सूर्य मणी ठाकुर	23.1.2016 से लगातार
सचिव		
1)	श्री अनिल धिमान	1.4.2013 से 18.5.2013
2)	श्रीमती अंजना महंत	19.5.2013 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत न्यूल के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :–

क्र०सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1.	पंचायत गृहकर राजस्व वसूली हेतु शेष रहना	6	0.84
2.	अनुदान का उपयोग न करना	7	14.82

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत न्यूल, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.8.2016 (A.N) से 22.8.2016 (F.N) तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 4/2013, 1/2015 व 12/2015 तथा व्यय के लिए माह 5/2013, 5/2014 व 11/2015 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेखों के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत न्यूल, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः VD(211)/2016-143, दिनांक 20.8.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत न्यूल से अनुरोध किया गया।

4 (i) वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत न्यूल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :–

स्वयं स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत न्यूल के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के स्वयं स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण **परिशिष्ट–"I"** निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–"1(क)" से "1(ख)"** में दिया गया है।

<u>मुख्य रोकड़ बही (स्वः स्त्रोत व अनुदान)</u>

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिमशेष
2013—2014	5,86,482	6,88,804	30,617	13,05,903	7,15,176	5,90,727
2014—2015	5,90,727	6,59,129	37,541	12,87,397	3,87,068	9,00,329
2015—2016	9,00,329	23,28,994	45,939	32,75,262	12,08,170	20,67,092
					बैंक	**24,17,578.05**
<u>मनरेगा</u>						
2013—2014	2,20,796	16,04,544	708	18,26,048	18,14,655	11,393
2014—2015	11,393	2,24,340	502	2,36,235	11,33,509	(—)8,97,274
2015—2016	(—)8,97,274	—	—	(—)8,97,274	12,26,741	(—)21,24,015
					बैंक	**Nil**

Note : **(1) Labour payment online w.e.f. 2014-15**
(2) Material Payment onlinge w.e.f. 2015-16

4.2 रोकड़ बही में अथशेष/अन्तिम शेष की गणना न करने बारे

ग्राम पंचायत न्यूल की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बही में प्रत्येक दिन/माह का अथशेष/अन्तिम शेष की गणना नहीं की गई है व न ही वर्ष के आरम्भ में अथशेष व अन्तिम शेष दर्शाया गया है। अतः वित्तीय स्थिति की गणना/निर्धारण करने के लिए बैंक पास बुकों में 31.3.2013 के शेष का ही 1.4.2013 का अथशेष लिया गया है।

4.3 मनरेगा की रोकड़ बही को पूर्ण न करने बारे

ग्राम पंचायत न्यूल की मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा की रोकड़ बही को 31.3.2016 तक पूर्ण नहीं किया गया है। योजना में स्वीकृत अनुदान की राशियों व व्यय भुगतान विकास खण्ड अधिकारी के कार्यालय द्वारा Online होने के कारण स्वीकृत राशियों व व्यय की राशियों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया जा रहा है जिस कारण अंकेक्षण अवधि में उक्त योजना में कितनी राशि स्वीकृत हुई व कितनी राशि का व्यय भुगतान किया गया तथा कितनी राशि का भुगतान शेष है का पूर्ण विवरण/ब्यौरा पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाया। अतः मनरेगा में अंकेक्षण अवधि में प्राप्त कुल राशि न व्यय भुगतान का पूर्ण विवरण रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

4.4 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना

ग्राम पंचायत न्यूल की मुख्य रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों के 31.3.2016 के अन्तिम शेष के अन्तर ₹38,661.05 (**परिशिष्ट–''2''**) का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदानों की राशियाँ जो रोकड़ वही में दर्ज नहीं की गई है को रोकड़ बही में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करके कार्यवाही रजिस्टर में ही सामान्य तौर पर तैयार किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत गृहकर राजस्व ₹0.84 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की गृहकर से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक गृहकर की ₹83,680 की वसूली शेष थी।

(परिशिष्ट–''3'')

गृहकर वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष**
2013–2014	31,970	24,200	56,170	14,990	41,180
2014–2015	41,180	26,000	67,180	6,900	60,280
2015–2016	60,280	26,000	86,280	2,600	83,680

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए तथा गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर में प्रत्येक परिवार की बकाया राशि की गणना दिनांक 31.3.2016 तक पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹14.82 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–"4"**) के अनुदान दिनांक 31–3–16 तक अनुदान ₹14,81,797 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीण को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों से स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

8 क्रय सामानों की स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज न करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार ग्राम पंचायत को क्रय किए गए प्रत्येक सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टि दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि के व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित सामानों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गई है :–

Sr. No.	Head	Cash Book Page No.	Bill No./ date	Firm	Item	Amount
1.	Own Nidhi	76-5/13	7708 10-5-13	M/s Parvati Printing Press, Bhunter	Register	315
2.	Own Nidhi	76-5/13	130 7-5-13	D.P.O Kullu	Mustrall Forms	125
3.	MGNREGA	78-5/13	512 to 514 Nil	M/S Sushil Kumar	Sand	10,010
4.	Own Nidhi	127-5/14	136 22-5-14	M/s New General Store, Bajarra	Registers	150

5.	MGNREGA	17-5/14	23299 13-5-14	M/s H.P. State Civil Supplies corporation	Cement	34,912
6.	Own Nidhi	174-11/15	588 21-11-15	M/s Bobby corner, Bhunter	Uniform	900
7.	Onw Nidhi	174-11/15	2867 21-11-15	M/s Beer Enter prises Bhunter	Shoes	780
8.	13th FC	175-11/15	413 18-11-15	M/s City Computer, Kullu	Dongal	1,900
9.	Onw Nidhi	179-11/15	178 25-10-15	M/s Sharma Printer"s Kullu	Letter Pad, Parivar Nakal etc.	930
					Total	**50,022**

अतः उपरोक्त क्रय सामानों की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण के साथ दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय सामान की स्टॉक प्रविष्टि नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए।

9 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. बिल प्रति रजिस्टर फार्म–13
2. यात्रा भत्ता जाँच रजिस्टर फार्म–20
3. कार्य निष्पादन रजिस्टर
4. चैक प्राप्ति, चैक जारी करने का रजिस्टर
5. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6. दुरभाष बिल भुगतान रजिस्टर

10 मनरेगा के तहत ₹280 का अधिक भुगतान

मनरेगा की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्याः 17, माह 5/2013 में बिल संख्याः 21963, दिनांक 23.6.2014 द्वारा M/s H.P. Agro

industries corporation Ltd. को लोहे के तार के 15 बण्डल क्रय करने के लिए ₹20,800 का भुगतान किया गया, जबकि M/s HP Agro Industries corporation ltd. द्वारा जारी बिल संख्याः 21963 के अनुसार क्रय सामान की कुल लागत ₹20,520 थी। अतः अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित फर्म से करके रोकड़ बही में दर्ज की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

12 **निष्कर्ष :–** ग्राम पंचायत न्यूल के लेखों, रोकड़ बही व स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iii)8/2016–,खण्ड–1–6259–6262 दिनांकः 24.11.2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत न्यूल, विकास खण्ड कुल्लू, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्याः 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009